29.5.2008 को आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 63 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 63 वीं बैठक 29 मई 2008 को सुबह 11.00 बजे कोचिन में आयोजित हुई ।

श्री. वी.जे.कुरियन, भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।
निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री. साजन कुरियन कळरिक्कल	उपाध्यक्ष
2. श्री. डी.एम.कतिर आनंद	सदस्य
3. श्री.टी.अशोक कुमार	"
4. डॉ. के.वी.पीटर	"
5. श्री.एच. विश्वनाथ	"
6. श्री. जोर्ज जोसफ,भा.प्र.से	"
7. श्री. वी.डी. आलम्	"
8. श्री. मंगत राम शर्मा भा.प्र.से	"
9. श्री.के.सी. चौडे गौडा	"
10.श्री. के.एन. हज़ारिका	विशेष आमन्त्रित

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. डॉ. वी.प्रकाश
2. श्री.के. जयकुमार भा.प्र.से.
3. डॉ. जी.एस.जी.अय्यंगार
4. डॉ. एम.एल.चौधरी
5. योजना आयोग से सदस्य
6. श्री. तिरुच्ची शिवा, सांसद(राज्यसभा)
7. श्री. विश्वनाथ ओक्टे
8. श्री. राजीव धर
9. श्री.बलकरन पटेल
10. डॉ. वी.ए. पार्थसारथी

अनुपस्थित

1. श्री. एन.जहाँगीर
2. श्री. जे.वी. नारायणस्वामी

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री. वी.के.के.नायर, सचिव
2. श्री. एस. कण्णन, निदेशक (विपणन)
3. डॉ. चार्ल्स.जे. कित्तु, निदेशक (वित्त)
4. डॉ. जे. थॉमस, निदेशक (अनुसंधान)
5. श्री.आर. चन्द्रशेखर, निदेशक (विकास)

अध्यक्ष महोदय ने शुरू में सभी सदस्यों, खासकर नए सदस्यों जैसे श्री. चौडे गौडा, श्री. मंगत राम शर्मा, निदेशक(बागान), वाणिज्य मन्त्रालय और विशेष आमन्त्रित श्री. हज़ारिका, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, एन ई डी एफ सी, का बोर्ड - बैठक में स्वागत किया ।

तदुपरान्त, कार्यसूची-मदों को विचारार्थ लिया गया ।

मद सं.1: 28.1.2008 को आयोजित बोर्ड-बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

पुष्टीकरण किया गया ।

मद सं.2: 28.1.2008 को आयोजित बोर्ड की बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई

नोट की गई ।

मद सं.2(62:5) : बोडिनायकन्नूर और वण्डनमेटु में इलायची(छोटी) की इ-नीलाम प्रणाली

निर्णयानुसार, निदेशक(विपणन) और निदेशक(वित्त) की सदस्यतावाली समिति ने आवर्ती व्यय चुकाने केलिए इ-नीलाम प्रणाली द्वारा बेची गई इलायची केलिए 200/-रु. प्रति टन के उपयोक्ता शुल्क(यूज़र फी) का प्रस्ताव किया । इस संबंन्ध में, श्री अशोक कुमार का विचार था कि चूँकि यह अवसंरचना नीलामकर्त्ताओं केलिए सुविधाजनक है कृषकों से उपयोक्ता-शुल्क की वसूली नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने सुझाया कि नीलामकर्त्ता अपने कमीशन से उसका वहन कर सकते हैं ।

कर्नाटक में इ-नीलाम शुरू करने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि चूँकि नीलाम हेतु आनेवाली मात्रा बहुत कम है, हम इलायची पुनरोपण/नवीकरण कार्यक्रम पूरा होने तक इन्तज़ार कर सकते हैं, जिससे इलायची उत्पादन में कर्नाटक में इ-नीलाम चलाने केलिए विचार करने योग्य वृद्धि होगी ।

मद सं.3 : बोर्ड की XI वीं प्लान योजनाएं

अध्यक्ष महोदय ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और बोर्ड द्वारा XI वीं योजनावधि के दौरान अमल की जा रही योजनाओं के बारे में बताया । सरकार ने 443 करोड रु. मंजूर किए है, जिनमें से 122 करोड रु. केरल, तमिलनाडु और सिक्किम के इलायची बागानों के पुनरोपण और नवीकरण हेतु विशेष प्रयोजन निधि के रूप में प्रदान किए गए है ।

वैनिला संबन्धी एक सवाल पर, अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सरकार ने वैनिला के संग्रहण केलिए इमदाद के रूप में 4.08 करोड रु. मंजूर किए है । इस योजना के अधीन एस टी सी एल कृषकों के वैनिला के स्टॉक का 450रु/कि.ग्रा(प्रसंस्कृत सेम) की दर पर पणन करेगा और वे मदर डायरी या अमुल को कृत्रिम वैनिला केलिए नियत दाम पर इसकी बिक्री करेंगे । लागत में होनेवाला अन्तर एस टी सी एल द्वारा चुकाया जाएगा और उन्हें विपणि में जल्दी ही हस्तक्षेप करने को बताया गया है ।

श्री अशोक कुमार ने रेडियो फ्रीक्वनसी टेकनोलजी के प्रयोग से इलायची सुखाने केलिए क्यूरिंग यूनिट स्थापित करने के बारे में पूछा । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह प्रौद्योगिकी आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा में परीक्षण के तौर पर ली जाएगी । अगर यह सफल पाई जाय और वैज्ञानिकों व किसानों केलिए संतोषजनक रूप में ठीक तरह काम करती है तो बोर्ड इस नई शुष्कन प्रणाली को अन्य क्षेत्रों में प्रचलित करने का कदम उठाएगा ।

कर्नाटक के श्री. विश्वनाथ ने पुनरोपण और नवीकरण में कर्नाटक के हिस्से के बारे में पूछताछ की । अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम राज्यों और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के इलायची के अधीन के सभी क्षेत्रों का पुनरोपण किया जाना है जबकि नवीकरण मुख्यतः मात्र केरल, तमिलनाडु, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के इलायची बागानों केलिए है ।

मद सं . 4 : '' मसालों के निर्यात विकास एवं उन्नयन ''- XI वीं प्लान के अधीन योजना केलिए मार्गनिर्देश/कार्यप्रणालियाँ

अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड को सूचित किया कि ''निर्यात विकास व उन्नयन'' योजना ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन केलिए सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित हो चुकी है । पात्रता निर्यात बाध्यताएँ, निर्यात बाध्यताओं की चुकौती केलिए 'डीम्ड निर्यात' पर विचार आदि स्पष्ट किए गए । यह भी सूचित किया गया कि लाभग्राहियों द्वारा, जहाँ कहीं लागू हो, बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाने के आधार पर उनको इमदाद प्रदान की जाती है । बोर्ड ने मसाला उद्योग के बीच प्रचार-प्रसार केलिए योजना के मार्गनिर्देश/कार्यप्रणालियों का अनुमोदन किया ।

मद सं . 5 : XI वीं योजना के दौरान ''मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर संवर्धन योजना'' के अधीन कार्यक्रमों को अमल करने केलिए मार्गनिर्देश

चर्चा के दौरान, यह विचार सामने आया कि कर्नाटक के किसान आम तौर पर ब्यादगी मिर्च(मद 'घ' के 1 - अन्य मसाले) केलिए वर्षा जल संभरण केलिए योजना के अधीन सहायता की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते । फिर भी, सदस्य को विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया गया कि यह योजना कर्नाटक के ब्यादगी मिर्च किसानों की विशेष माँग के कारण तैयार की गई थी ।

मद 'ग' - अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के अधीन आनेवाली योजना 6 (लकादोंग हल्दी) और योजना 7 (अदरक) के संबन्ध में, यह पूछा गया कि क्या यह योजना मात्र जैव खेती केलिए है ? अध्यक्ष महोदय ने पुष्टि की कि यह योजना केवल जैव खेती केलिए है और सूचित किया कि जैव खेती के क्षेत्र/ज़मीन एन पी ओ पी(जैव कार्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अधीन प्रत्यायित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना है ।

बोर्ड ने मानकों/मार्गनिर्देशों को नोट किया ।

मद सं.6 : क्षेत्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट

मुम्बई, गुंटूर एवं दिल्ली में प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया गया । यह सूचित किया गया कि मुम्बई की प्रयोगशाला का उद्घाटन जून, 2008 में करने की प्रतीक्षा की जाती है ।

बोर्ड ने स्थिति नोट की ।

मद सं .7 : 2008-2009 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मेलों व खाद्य उत्सवों में प्रतिभागिता

श्री कतिर आनन्द ने सुझाव दिया कि बोर्ड द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागिता केलिए अधिक जगह ली जाए ताकि प्रतिभागी निर्यातकों केलिए खरीददारों के साथ बातचीत/चर्चा करने में सुविधा हो और संभावित परेशानियों/अपने बीच की अस्वस्थ प्रतियोगिता को वे रोक सकें ।

यह स्पष्ट किया गया कि बोर्ड ने उद्योग से जुडे लोगों के साथ इस विषय पर पहले ही चर्चा की है । उसके अनुसार, मेले में भागीदारी के महत्व को देखते हुए, वर्ष 2008-09 केलिए अनुमोदित मेलों की सूची को 'क' और 'ख' में वर्गीकृत किया गया है । वर्ग 'क' के अंतर्गत, प्रतिभागी निर्यातकों केलिए अलग अलग कक्ष 70 वर्ग मीटर तक की जगह प्रदान करने का विचार किया गया है । निर्यातकों को सफल प्रतिभागिता केलिए अनुमोदित मेलों में उनकी प्रतिभागिता के पुष्टीकरण के संबंध में बहुत पहले ही सूचना देनी चाहिए । वैसे, यह भी सुझाया गया कि छोटे व मध्यम निर्यातकों को भी व्यापार मेलों में प्रतिभागिता केलिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे ।

बोर्ड ने वर्ष 2008-09 के दौरान प्रतिभागिता के लिए अनुमोदित मेलों और खाद्य उत्सवों की सूची नोट की ।

मद सं. 8 : 2007-08 के दौरान मसालों का निर्यात निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान मसालों के निर्यात में शानदार निष्पादन प्राप्त करने पर सदस्यों ने स्पाइसेस बोर्ड के पदाधिकारियों को बधाई दी । श्री. अशोक कुमार ने इलायची के पुनरोपण और नवीकरण केलिए वर्द्धित इमदाद हेतु मंजूरी प्राप्त करने तथा देश के मसाला उद्योग के विकास केलिए हाल ही में ली गई पहल, स्पाइस पार्कों की स्थापना जैसे अन्य कार्यकलापों केलिए बोर्ड की प्रशंसा की । उन्होंने जापानी विपणि दोबारा प्राप्त करने के अवसरों की खोज करने की गुजारिश की, जिसे नाशकजीवनाशी अवशेषों के मसले के कारण खो दिया गया था । अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि बोर्ड ने गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमों के ज़रिए खेत स्तर पर ही रसायनिक अवशेषों को कम करने के अनेक उपाय किए हैं । अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया कि ग्वाटीमाला की इलायची नाशकजीवनाशी अवशेषों से अपेक्षाकृत मुक्त है और इसलिए जापानी क्रेता ग्वाटीमाला की इलायची अधिक पसंद करने लगे हैं । अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचना दी कि अवशेष-मुक्त इलायची के विपणन व निर्यात बढाने केलिए खाद्य एवं मानव स्वास्थ्य पर नाशकजीवनाशी अवशेषों के दुष्प्रभाव पर जल्दी ही एक बडा अभियान शुरू किया जाएगा । इस संदर्भ में यह भी सूचित किया गया कि एम.एस. स्वामीनाथन आयोग जहाँ कहीं संभव हो, मशीनीकरण द्वारा उत्पादन-खर्च कम करने तथा जैव खेती के बारे में किसानों को अवगत कराने केलिए इडुक्की सहित सूखा/बाढ ग्रस्त जिलों केलिए अलग से पैकेज की तैयारी की प्रकिया में है ।

मद सं.9 : मसालों के निर्यात एवं इलायची और वैनिला की उत्पादकता में उत्कृष्टता केलिए पुरस्कारों तथा ट्रोफियों का वितरण

बोर्ड ने नोट किया ।

अध्यक्ष महोदय ने दोपहर बाद के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने केलिए सभी सदस्यों को आमन्त्रित किया ।

मद सं.10 : 2007-08 केलिए बडी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

नोट किया गया ।

मद सं.11 : इलायची कृषकों, व्यापारियों, निर्यातकों तथा नीलामकर्त्ताओं को आई डी कार्ड जारी करना

अनुमोदित ।

मद सं.12 : निर्यातकर्त्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र एवं प्रमाणपत्र में संशोधन

अनुमोदित ।

मद सं.13 : चुरचंदपुर जिला, मणिपुर (उ.पू. क्षेत्र) में परियोजनाएं

बोर्ड ने नोट कीं ।

मद सं.14 : 01.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि केलिए बोर्ड के अन्तिम लेखे का अनुमोदन

अनुमोदित ।

मद सं.15 : उपाध्यक्ष एवं उप-समितियों का चुनाव

उपाध्यक्ष

श्री. कतिर आनंद सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गए । अध्यक्ष महोदय ने नए चुने उपाध्यक्ष का स्वागत किया और पदमुक्त उपाध्यक्ष श्री. साजन कुरियन को धन्यवाद ज्ञापित किया ।

सदस्यों ने उप-समिति के पुनःगठन केलिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया ।

मद सं. 16 : XI वीं योजना के दौरान उ.पू. राज्यों में कार्यान्वयन केलिए ''निर्यातोन्मुख उत्पादन'' की योजना के तहत कार्यक्रमों केलिए पात्रता-प्रतिमान में संशोधन तथा इमदाद की दरों में वृद्धि केलिए प्रस्ताव

बोर्ड ने प्रस्तावित परिवर्तनों/संशोधनों का अनुमोदन किया ।

प्रस्ताव अनुमोदन/आवश्यक कार्रवाई केलिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया ।

मद सं.17: प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केन्द्रों में स्पाइसेस पार्क

बोर्ड की टिप्पणी का अनुमोदन किया गया ।

विषय की विस्तार से चर्चा की गई । बोर्ड ने सभी पार्कों का प्रचालन मेसर्स फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटड के ज़रिए करने का निर्णय लिया, जिस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिससेकि पार्क के सफल संचालन केलिए आवश्यक अनुभवी, निपुण कार्मिक एवं पेशेवर को काम सौंपा जाए ।

देश के प्रमुख मसाले उत्पादक/विपणन केंद्रों में स्पाइसेस पार्क जैसी चालू परियोजनाओं की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया गया । गुजरात के मेहसाना के प्रस्तावित पार्क केलिए चुनी गई ज़मीन के संबंध में यह रिपोर्ट किया गया कि गुजरात सरकार को स्पाइसेस बोर्ड को मुफ्त में ज़मीन देने का प्रावधान नहीं है । अतः नाममात्र कीमत पर जमीन आबंटित करने या 1.05 करोड रु. के आकलित मूल्य पर ''कृषि'' श्रेणी के तहत ज़मीन का स्वत्व-अंतरण करने केलिए गुजरात सरकार से अनुरोध करने का सुझाव रखा गया । बोर्ड ने मेहसाना जिले में स्पाइसेस पार्क की स्थापना केलिए ज़मीन के आबंटन-कार्य को शीघ्र निपटाने की मदद करने केलिए श्री. जोर्ज जोसफ, अपर मुख्य सचिव(कार्मिक), गुजरात से अनुरोध किया ।

अतिरिक्त मदः अनुकंपा-आधार पर नियुक्तियां एवं आकस्मिक कामगारों(अस्थाई स्टैटस), परियोजना से जुडे स्टाफ तथा फुटकर कामगारों के नियमितीकरण केलिए प्रस्ताव

श्री. वी.डी. आलम, निदेशक(वित्त) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के प्रस्तावों पर सरकारी अनुमोदन खासकर कार्मिक विभाग से पाने की ज़रूरत सूचित की । इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए बोर्ड ने इस को संबन्धित मन्त्रालय/विभाग के अनुमोदनार्थ संस्तुत करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड की संस्तुति के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया ।

अस्थाई ओहदे में कार्यरत आकस्मिक कामगारों एवं परियोजना से जुडे स्टाफ आदि के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्तेकि सरकार से रिक्तियों केलिए अनुमति प्राप्त हो ।

बैठक दोपहर 12.45 बजे समाप्त हुई ।

.....